R.M.M. Law-College. Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Teacher,
sub. Cri

फरारी।—
मात्र फरारी से दोषी मनोवृत्ति का निश्चयिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कोई निर्दोष व्यक्ति भी, जब उस पर गलत सन्देह किया जाता है। अभ्याहत होकर गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग सकता है। अपराध के ठीक पश्चात अभिकथित अभियुक्त व्यक्ति का फरार हो जाना अपने आप में साक्ष्य नहीं है। फरार होना स्वयं में दोषिता या दोषी अन्तरात्मा का निश्चायक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराध में अन्तर्वलित हो जाने के भय के कारण या सम्बद्ध किसी और कारण से फरार हो सकता है।" फरारी अन्य साक्ष्य के साथ निर्णायक हो भी जा सकती है, किन्तु उसको क्या महत्व मिलना चाहिए यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगा। सामान्यतः इस तथ्य का महत्व कम होता है। इसे ऐसी कड़ी नहीं माना जा सकता जो अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला की इस भांति पूरी कर दे। कि अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य तर्कसंगत अनुमान की गुंजाइश ही न रहे।

जब अभियुक्त परिवादी (complainant) के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के लिखे जाने तक था और उसके बाद

यह आश्चर्य हुआ कि उनके ऊपर गलत
सन्देह किया जाता है अतः उनके
अपने को निर्दोषिता का प्रमाण
दिया है तो यह तथ्य निश्चय रूप
से उनकी दोषी मनोवृत्ति नहीं मानी
जाता है।

किसी को फंसाने के लिये कोई
भूल चूक की परिस्थिति या साक्ष्य
मौलिक देखी सकता है। क्या
उन लोगों की बहुत पूर्व से
उन लोगों को लेकर या पारिवारिक
किसी बात को लेकर
विरोधपूर्ण भावना चलता
चला रहा हो या पहले भी कोई
रहा हो या वाद विवाद
जमीन को लेकर या वाद विवाद
लेकर रंजिश रहा हो तो
अभियुक्त न होते हुए भी वह
अभियुक्त हो सकता है। और
झूठे गवाह साक्ष्य या कागज-
जाल या साक्ष्य आरोपित
बनाकर भी लोग
फंसा सकता है।